प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 21 अगस्त, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जीतन कुर्मी पुत्र श्री केदार कुर्मी, निवासी जनपद-बलिया की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-20262/प्रो0अनु0(2)-(बैठक दिनांक 28.06.2024),दि0 08.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जीतन कुर्मी पुत्र श्री केदार कुर्मी, ग्राम-मल्लाहिचक, थाना-बॉसडीह, जनपद-बलिया का निवासी है। पुलिस का सहयोग किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 03.07.2007 को बंदी ने अपने 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टे से गोली मारकर राधाकिशुन व स्वामीनाथ नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा लक्ष्मण नामक व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-217/2008 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एक्स कैण्डर, बलिया के आदेश दिनांक 07.03.2013 मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21.12.2015 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 22.06.2024 तक अपरिहार 16 वर्ष 10 माह 21 दिन तथा 18 वर्ष 09 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 47 वर्ष, 07 माह 01 दिन है।

3- पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध की प्रबल संभावना, बन्दी को जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि पुलिस का सहयोग किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 03.07.2007 को बन्दी ने अपने 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टे से गोली मारकर राधाकिशुन व स्वामीनाथ नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। बंदी द्वारा 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध की प्रबल संभावना, बन्दी को जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जीतन कुर्मी पुत्र केदार कुर्मी को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर 180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जीतन कुर्मी (बन्दी सं0-377/2014) पुत्र श्री केदार कुर्मी, निवासी जनपद-बलिया की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-1048/2025/1158(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) डायरी संख्या-5048/2022 जीतन कुर्मी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2022 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।